रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 1980/फाल्गुन 25, 1901
No. 100] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 1980/PHALGUNA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1980

अधिसूचना

का. आ. 186(अ) :—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना

संख्या का. आ. 539(ई), दिनांक 22 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में, —

(क) कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित मद संख्या 8 में कालम 2 में दिए गए अक्षर समूहों के स्थान पर नीचे लिखे अक्षर समूह लिखे जाएं, अर्थात् :—

"एम वाई, एम ई, सी ए, सी एन, सी के, सी टी" ;

(ख) तमिलनाडु राज्य से सम्बन्धित मद संख्या 18 में कालम 2 में दिए गए अक्षर समूह "टी डी" के बाद "टी सी" जोड़ दिया जाए ।

[टी. जी. एम. (56)/78]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th March, 1980

NOTIFICATION

S.O. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 539(E), dated the 22nd September, 1979, namely :—

In the said notification, in the Table,—

(a) against item No. 8 relating to the State of Karnataka, in Column 2, for the groups of letters, the following groups of letters shall be substituted, namely :—

"MY, ME, CA, CN, CK, CT" ;

(b) against item No. 18 relating to the State of Tamil Nadu, in column 2, after the group of letters "TC", the group of letters "TC" shall be added.

[TGM (56)/78]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980